फर्द अहकाम

(नियम 36)

आज अदालत जिला कलक्टर, महो. मुकाम प्रतापगढ़

श्री जालम सिंह राजपूत बनाम श्री सरकार जरिये तहसीलदार

किस्म मुकदमा 151 CPC 1908 नंबर [illegible] सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/19	अधिवक्ता श्री शरद कुमार चिप्पड़ द्वारा प्रस्तुत अपील विरुद्ध आदेश प्रकरण संख्या 1007/2019 निर्णय दिनांक 23.12.2019 न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध जारी आदेश अन्तर्गत अपीलार्थी/प्रार्थी को बिना युक्ति-युक्त सुनवाई के उसकी खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश प्रदान किया गया है। उक्त तथ्यों का उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भी किया है। प्रार्थी कि ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अन्तिम निस्तारण तक स्थगन आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र मेमों के गहन अवलोकन एवं अध्ययन तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संज्ञान में आया है कि अपीलार्थी द्वारा मौके पर फसल उगा रखी है जिसके व्यापक हितार्थ प्राथमिक रूप से स्थगन दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगन व्यादेश जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो संलग्न मूल अपील की जावें। जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)	